149

संख्याः– 2115 / III(2)/11–16(प्रा0आ0)/2010

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 07 जुलाई जून, 2011

विषयः– जनपद देहरादून में कलेमनटाउन में सुभाष नगर पोस्ट ऑफिस मार्ग से लगे हुए क्षतिग्रस्त मार्गो के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, ग0क्षे0, लो0नि0वि0, पौड़ी के पत्र सं0:– 1639/24(257) याता0–पर्व0/2010 दिनांक 01–04–2011 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश सं0:– 6317/III(2)/10–16(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा जनपद देहरादून में कलेमनटाउन में सुभाष नगर पोस्ट ऑफिस मार्ग से लगे हुए क्षतिग्रस्त मार्गो के पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य, लम्बाई 2.260 किमी0 तथा लागत ₹ 48.00 लाख हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित धनराशि ₹ 48.00 लाख (₹ अड़तालीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– शासनादेश सं0:– 6317/III(2)/10–16(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2010 द्वारा स्वीकृत लागत ₹ 98.70 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 48.00 लाख को नियमानुसार राजकोष में जमा कराये जाने के उपरान्त ही उक्त कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 48.00 लाख को अवमुक्त किया जायेगा।

3– विस्तृत आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय–सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6– ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

9– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जायेगा।

11– स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

12– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13– इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0:– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनागत पक्ष में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–3054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –337 सड़क निर्माण कार्य–0301 प्रदेश में मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

16– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा पत्रावली सं0:– 16(प्रा0आ0)/2010 में दिये गये परामर्श के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या– 2115 /III (2)/11–16(प्रा0आ0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– जिलाधिकारी, देहरादून।
4– मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।
5– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
8– अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
9– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
11– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव